न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 140/2025 G.C.M.S. No. 2025/628 दर्ज दिनांक : 29.09.2025

अपीलार्थी:

1. तहसीलदार सुमेरपुर भूमिधारी जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सोहनसिंह पुत्र जयसिंह
2. रतनसिंह पुत्र जयसिंह
3. नारायणसिंह पुत्र जयसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी दुजाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2022 बअनवान सोहनसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2024 एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पैरोकार–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट 1 की ओर से एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 असालतन उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2022 बअनवान सोहनसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट द्वारा वाद खसरा नम्बर 980/1, 983, 984 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर की भूमि के संबंध में वाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के खसरा बाबत् सिलिंग कार्यवाही जस्सा, मंगा, पुत्रगण अचला के विरूद्ध दिनांक 20.07.1970 को चली व सिविल प्रकरण समाप्त किया। तत्पश्चात् पुनः रिओपन होने पर अतिरिक्त कलेक्टर, पाली द्वारा दिनांक 24.05.1999 को सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होना निर्णित कर रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये। इस आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि में सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतिरिक्त कलेक्टर, पाली का आदेश के विरूद्ध रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में अपील की गई, जिसका निर्णय दिनाक 28.09.1999 को हुआ, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के आदेश अपास्त कर दिया तथा उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज रहने के कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा पुनः उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को स्वयं के खाते में दर्ज करवाने के लिए घोषणा का दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया, बाद ट्रायल के बाद डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि न्यू सिलिंग एक्ट 1973 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पुनः रिओपन कर अतिरिक्त कलक्टर, पाली के यहां कार्यवाही विचाराधीन रही, निर्णय व जिसके विरूद्ध रेवेन्यू बोर्ड में अपील हुई व रेवेन्यू बोर्ड के आदेश के पश्चात् रेस्पोडेण्ट को अपनी कार्यवाही सिलिंग प्रावधानों के तहत किया जाना कानूनन था, परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा धारा 88, 89, 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत वाद किया गया। उक्त वाद के प्रस्तुति विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है तथा ट्रायल भी शून्य है व सिलिंग के संबंध में कार्यवाही होने पर सिलिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वाद चलने योग्य नहीं था। रेवेन्यू बोर्ड के आदेश से प्रार्थी के हक अधिकार पुनः प्राप्त हो गये तो रेस्पोडेण्ट को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के लिए अति. कलक्टर सिलिंग पाली के यहां कार्यवाही की जानी थीं व पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए आदेश प्राप्त किया जाना चाहिये था, जो माफिक कानून था, अथवा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी अतिरिक्त कलक्टर पाली के यहां पेश करने का क्षेत्राधिकार था, परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। सहायक कलेक्टर सुमेरपुर जो सिलिंग की अराजियात बाबत वाद के सुनवाई का न तो क्षेत्राधिकार था, न ही वाद मेन्टेनेबल था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि तथ्य की भूल से जो डिक्री पारित की है। रेस्पोंडेण्ट के वाद से व साक्ष्य से सिलिंग प्रक्रिया होना व सिलिंग प्रभावित भूमि होना साबित था, तो अधिनस्थ न्यायालय को इस विवाद बाबत् तनकीयात कायम की जानी चाहिये थीं, परन्तु तनकीयात कायम नहीं की गई। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कार्यवाही में अधिकृत भूमि व सिवाय चक की गई भूमि को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में खातेदारी अधिकार घोषित करने का आदेश पारित किया गया। धारा 88, 89 के प्रावधानों के अनुसार सिलिंग में अधिकृत भूमि की घोषणा करने का खातेदारी की घोषणा या अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था। रेस्पोंडेण्ट द्वारा वाद उपखण्ड अधिकारी बाली में पेश किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी को टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं तथा न ही धारा 144 सी.पी.सी. के तहत भी उपखण्ड अधिकारी को वाद व प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है। सिलिंग की कार्यवाही जो विचाराधीन रही, यह जस्सा पुत्र अचला, मंगा पुत्र अचला के बाबत् थी, मंगा के कोई वारिस नहीं हैं तथा मंगा के वारिस होने की घोषणा भी सक्षम न्यायालय से रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने पक्ष में नहीं करवायी। इस कारण वाद चलने योग्य नहीं था। रेस्पोंडेण्ट जयसिंह के पुत्र है, परन्तु सिलिंग कार्यवाही जस्सा पुत्र अचला के विरूद्ध हुई। जस्सा व जयसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है, ऐसी साक्ष्य पत्रावली में नही थी, न ही मौखिक साक्ष्य से भी जस्सा व जायसिंह का एक होना साबित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुआ है। निर्णय व डिक्री की दिनांक 02.01.2024 को होने की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थीं, न ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवगत कराया गया, रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमिधारी को नाम भरने बाबत् कहने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, इस पर भूमिधारी तहसीलदार के आवेदन पर नकल हेतु दिनांक 23.09.2025 को आवेदन किया व नकल दिनांक 24.09.2025 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम चाणोद द्वितीय में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2715 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2024 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 2719 में से रास्ता स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि आदेश की दिनांक 02.01.2024 को होने की जानकारी आपीलाण्ट को नहीं थीं, न ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवगत कराया गया, रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमिधारी को नाम भरने बाबत् कहने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, इस पर भूमिधारी तहसीलदार के आवेदन पर नकल हेतु दिनांक 23.09.2025 को आवेदन किया व नकल दिनांक 24.09.2025 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया जाना साबित नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता जायसिंह उर्फ जस्सा पुत्र अचलसिंह उर्फ अचला एवं काका मगा पुत्र अचला की खातेदारी आराजी थीं। जिनके विरूद्ध सीलिंग प्रकरण दिनांक 20.07.1970 को समाप्त कर दिया गया। जो पुनः वर्ष 1994 को जसा पुत्र अचला एवं मगा पुत्र अचला के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण खोलकर 27–12 बीघा भूमि निर्णय दिनांक 24.05.1999 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर पाली ने अधिग्रहित की गई। जिसके पुराने खसरा नंबर 453 रकबा 104 बीघा है। जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता ने राजस्व मण्डल में अपील पेश की। जिसे मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 28.09.1999 द्वारा स्वीकार कर अतिरिक्त कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 24.05.1999 को निरस्त कर दिया गया। लेकिन अतिरिक्त कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 24.05.1999 द्वारा वादी के पिता की खातेदारी भूमि रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई। जो अब भी सिवायचक खाते में चल रही हैं। जिस पर कब्जाकाश्त वादी का है। जिससे राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के नाम घोषित करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 50/2018 दिनांक 16.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं निर्णय दिनांक 22.01.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिस पर वादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित करते हुए वाद संख्या 50/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण विचारणार्थ पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा निर्णय दिनांक 02.01.2024 द्वारा वादपत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रेकर्ड में सीलिंग कार्यवाही से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश पारित किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता व काका जोकि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार थें, के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली में सीलिंग कार्यवाही विचाराधीन थीं। जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.07.1970 को समाप्त कर दिया गया एवं नवीन सीलिंग विधि के प्रावधानों के तहत प्रकरण पुनः रिओपन किया गया तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा निर्णय दिनांक 24.05.1999 द्वारा 24–12 बीघा आराजी अधिग्रहित की गई। जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड में नामांतरण स्वीकृत होकर सिवायचक दर्ज की गई। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील की गई। जो निर्णय दिनांक 28.09.1999 द्वारा स्वीकार की गई तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.1999 को अपास्त कर दिया गया। लेकिन वादग्रस्त आराजी इसके बावजूद सिवायचक दर्ज रही। ऐसी स्थिति में चूंकि विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली है, जिनके आदेश दिनांक 24.05.1999 द्वारा वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया एवं जिसके विरूद्ध अन्य कोई अपील या स्थगन आदि जैसकार होना या किया जाना अपीलांट तहसीलदार द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि आदेश दिनांक 24.05.1999 अस्तित्व में ही नहीं रहा तथा उक्त प्रकरण में अपीलांट तहसीलदार स्वयं प्रार्थी पक्षकार था। जिसे अंतिम निर्णय की अनुपालना में भू–अभिलेख को अद्यतन किया जाना था, जो नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट वादीगण विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के समक्ष धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 तथा धारा 144 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता एवं न ही न्यायालय सहायक कलक्टर को उक्त प्रकरण का कोई श्रवणाधिकार या क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2022 बअनवान सोहनसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2024 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोंडेंट वादग्रस्त आराजीयात की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा सीलिंग अपील संख्या 109/99/पाली बअनवान जसा वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.09.1999 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 192/94 अनवान सरकार बनाम अचला वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.05.1999 को अपास्त कर देने से उक्त निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से ठीक पूर्व की अभिलेखीय स्थिति बहाल करवाने के लिए सक्षम विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के समक्ष या भू–अभिलेख के अद्यतन हेतु संबंधित भू–अभिलेख अधिकारी/सहायक भू–अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रशासनिक स्तर पर पृथक से नियमानुसार चाराजोही एवं अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा में वाद व अपील के विचारण व निर्णयन की अवधि समस्त प्रयोजनों के लिए परिसीमा हेतु काबिल क्षम्य होगी। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, पाली